प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभागों, जिनमें वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य आबकारी विभाग, भू-राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, खनिज संसाधन विभाग तथा वन विभाग सम्मिलित है, की निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है। जबकि आर्थिक, सामान्य और सामाजिक सेवा क्षेत्र से संबंधित विभागों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो कि सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अतिरिक्त) के प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण, वे प्रकरण हैं जो वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।